

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र

उपस्थिति:- मान वर्धन, उ०प्र० न्यायिक सेवा.,

फौजदारी वाद संख्या-830/ 2016 मु०अ०सं०-40/ 2016

राज्य

बनाम राजू यादव व अन्य

धारा-323, 325, 504, 506 भा०दं०सं०

थाना-करमा, जनपद सोनभद्र।

-: आरोप :-

मैं, अनिल कुमार खरवार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र आप अभियुक्तगण राजू यादव तथा दीपक यादव को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ:-

प्रथम:- यहकि दिनांक 30.05.2015 को समय 20.30 बजे रात्रि बहद स्थान ग्राम पुरखास, थाना करमा, जनपद सोनभद्र में आप लोगों ने अपने सामान्य आशय की पूर्ति में वादिनी सोनमती को स्वेच्छया लाठी डंडे से मार कर उपहति कारित किया। आप लोगों का यह कृत्य भा०दं०सं० की धारा-323 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय: यहकि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी को प्रकोपित करने के आशय से उसे गालियां देकर अपमानित किया। आप लोगों का यह कृत्य भा०दं०सं० की धारा-504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय: यहकि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने अपने सामान्य आशय की पूर्ति में वादिनी को स्वेच्छया लाठी डंडे से मार कर घोर उपहति कारित किया। जिसके कारण उसके बायें अग्रबाहु की हड्डी टूट गयी। आप लोगों का यह कृत्य भा०दं०सं० की धारा-325 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ: यहकि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया। आप लोगों का यह कृत्य भा०दं०सं० की धारा-506 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांक: 28.08.2017

(मान वर्धन)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांक: 28.08.2017

(मान वर्धन)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।

